"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 411] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर 2017 — भाद्रपद 24, शक 1939

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2017

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय (निर्माण एवं विध्वंस) अपशिष्ट प्रबंधन नीति, 2017

क्रमांक 6981 / 5531 / 2017 / 18. — पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 9 में उप–नियम (1) द्वारा यथा अपेक्षित.–

1. उद्देशिका

(1) छत्तीसगढ़ प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। शहरी क्षेत्र भौतिक विस्तार तथा जनसंख्या की दृष्टि से बढ़ रहा है। इस विकास का एक पहलू यह है कि निर्माण की गतिविधियों में तेजी आई है। इसका परिणाम यह है कि निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट की मात्रा निरंतर बढ़ रही है।

(2) भारत सरकार इस तथ्य से अवगत है कि संपूर्ण देश में यह हो रहा है। इस कारण उसने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 बनाया है।

(3) छत्तीसगढ़ शासन उपरोक्त नियम को प्रदेश में लागू करने अंगीकृत करती है।

(4) उपरोक्त नियम के नियम 9(1) में अपेक्षित है कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का प्रदेश में प्रबंधन हेतु नीति–दस्तावेज बनाया जावे। यह दस्तावेज इसी के पालन में है।

2. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(1) इस नीति को छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय (निर्माण एवं विध्वंस) अपशिष्ट नीति, 2017 के नाम से जाना जावेगा।

(2) यह नीति शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील मानी जावेगी।

(3) यह नीति प्रदेश की समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू होगी।

3. परिभाषायें

(1) इस नीति में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (वर्ष 1956 का क्र. 23) या / तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (वर्ष 1961 का क्र. 37);

(ख) "पर्यावरण अधिनियम" से अभिप्रेत है पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (केन्द्रीय क्र 29, वर्ष 1986) यथा समय–समय पर संशोधित;

(ग) "पालिक अधिकारी" से अभिप्रेत है नगर पालिक निगम की स्थिति में आयुक्त, तथा अन्य सभी स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी;

(घ) "नियम" से अभिप्रेत है पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बना निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, समय–समय पर यथा संशोधित।

(2) ऐसे शब्द एवं अभिव्यक्तियां जिनका प्रयोग यहाँ हुआ है किन्तु जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, का, यथा संदर्भ, वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम या नियम में है।

4. **निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के मार्गदर्शी सिद्धांत**

(1) इस नीति में मूलाधार सिद्धान्त यह है कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को कूड़ा नहीं बल्कि संसाधन के रूप में देखा जावेगा। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को, प्रसंस्करण के पश्चात यथा संभव निर्माण कार्य में उपयोग किया जावेगा ताकि उस हद तक ताजा गिट्टी और अन्य निर्माण सामग्री पर निर्भरता कम हो सके और पर्यावरण का संरक्षण हो सके।

(2) ठोस अपशिष्ट पर यथा लागू तीन सिद्धांत, reduce (कम करो) recycle (पुनः चक्रण) तथा reuse (दोबारा उपयोग), निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट पर भी लागू होगा। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का सृजन कम करना हर परिस्थिति में संभव नहीं हो सकेगा; किन्तु अन्य दो सिद्धांतों का पालन यथा संभव हद तक किया जावेगा।

(3) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का कोई भी अंश ठोस अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाया जावेगा, और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को प्रसंस्करण के पूर्व या उपरांत पालिक ठोस अपशिष्ट के लिए बने ट्रेंचिंग भूमि में नहीं डाला जावेगा।

(4) राज्य इस दिशा में प्रयास करेगा कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य को स्व–वित्तपोषित, बैंकेबल (Bankable), स्वतंत्र आर्थिक गतिविधि के रूप में प्रोत्साहित किया जावे।

(5) पात्रता के आधार पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों को लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत किया जावेगा ताकि लघु उघोगों को प्राप्त होने वाली समस्त सुविधायें इन्हें भी प्राप्त हो सकें।

(6) राज्य इस दिशा में प्रयास करेगा कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य को प्रदेश में आजीविका प्रोत्साहन, विशेष रूप गरीबों के लिए आजीविका प्रोत्साहन के लिए किया जावें।

(7) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य को पी.पी.पी.पी., पब्लिक–प्राईवेट–पीपल–पार्टनशिप के आधार पर किया जावे। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों से जुड़ने और इसमें निवेश करने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जावेगा।

(8) यह नीति इस तथ्य को स्वीकारती है कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का पृथक्कीकरण, पुनचक्ररण और पुनर्उपयोग से जुड़े कार्य में कौशल और कौशल विकास की आवश्यकता होगी। विभागीय सहयोग और योजनाओं के एकीकरण की अवधारणा के अनुरूप केन्द्रीय/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत ऐसे कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने की संभावनाओं को टटोला जावेगा।

(9) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के निपटान की लागत को 'अपशिष्ट सृजनकर्ता भुगतान करें' के सिद्धान्त अनुसार वसूला जावेगा। ऐसे शुल्क की गणना वास्तविक लागत के आधार पर की जावेगी और इसमें किसी भी प्रकार की रायल्टी, कर या फीस राज्य शासन या नगरीय निकाय की ओर से नहीं जोड़ा जावेगा।

(10) अपशिष्ट के निपटान की लागत सृजनकर्ता से माप के आधार पर वसूली जावेगी, न कि वजन के आधार पर।

(11) यह नीति इस तथ्य को मानता है कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन अन्य किसी भी अपशिष्ट के प्रबंधन जैसे ही सबका दायित्व है। इस हेतु अन्य विभाग यथा शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आवास और पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग, सड़क विकास निगम आदि के साथ समन्वय स्थापित की जावेगी।

(12) सार्वजनिक स्थलों पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को गिराना अपराध होगा जो अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम और नियम के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

(13) दलदली भूमि, जलाशय या जलाशय के कैचमेंट क्षेत्र में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट डम्प करना जिससे की जलाशय में जल के सुगम बहाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, पूर्णतः निषिध होगा और इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध अधिनियम तथा अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

5. वैधानिक ढांचा

(1) इस नीति के क्रियान्वयन हेतु मूलभूत वैधानिक ढांचा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत बना निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 होगा।

(2) स्थानीय क्षेत्र में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय उप विधि बनाने हेतु स्वतंत्र होगी :

परंतु यह कि ऐसे बनाई गई उपविधि को नियम और इस नीति के प्रावधानों के अनुकूल होना होगा।

(3) प्रदेश का हर ऐसा ठेका जो भवन या रास्ता निर्माण से संबंधित हो में यह कंडिका शामिल करनी होगी की निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों का अक्षर और भावना से पालन करना होगा और किसी भी चूक के लिये ठेकेदार जवाबदार होगा।

6. तकनीकी स्त्रोत

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में तकनीकी मार्गदर्शन, जहां भी आवश्यक हो प्रमुख रूप से निम्नलिखित स्त्रोतो से प्राप्त किया जावेगा :–

- केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्था (CBRI) रूडकी
- केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था (CRRI), नई दिल्ली
- राष्ट्रीय सीमेन्ट तथा भवन निर्माण सामग्री संस्थान (NCCBM), बल्लभगढ़
- निर्माण उद्योग विकास संस्थान, नई दिल्ली
- आई.आई.टी.
- एन.आई.आई.टी., रायपुर

7. नोडल विभाग

(1) नियम तथा इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रशासनिक विभाग होगा और फैसिलिटेटर की भूमिका निभायेगा।

(2) स्थानीय क्षेत्र में नियम तथा इस नीति के क्रियान्वयन का दायित्व संबंधित नगरीय निकाय का होगा।

(3) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ऐसे किसी भी विभाग से सहयोग मांग सकेगा जिसकी निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन विषय में किसी भी प्रकार की भूमिका हो।

8. नियमों का कियान्वयन

नियमों में दिये गये बिन्दुओं के संबंध में यह नीति निम्नानुसार निर्धारित करती है:–

(1) नगरीय निकाय 3(1)(छ) के अंतर्गत अपने कार्याधिकार क्षेत्र के लिए "स्थानीय अधिकारी" होगा तथा नियम 3(1)(झ) अंतर्गत "सेवा प्रदायक" होगा।

(2) नियम 4(5) के अंतर्गत दर का निर्धारण नगरीय निकायों द्वारा किया जावेगा और इसमें मुनाफा या रायल्टी शामिल नहीं की जावेगी:

परंतु यह कि यदि निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के निपटान का कार्य किसी निजी संचालक के सौंपा जाता है तो ऐसे संचालक का शुल्क/उचित मुनाफा व्यय निर्धारण के अनुमान में शामिल किया जावेगा:

परंतु यह भी कि यदि निजी संचालक को कार्य खुली निविदा के आधार पर सौंपा गया हो तो स्वीकृत दर को वास्तविक व्यय माना जावेगा:

परंतु यह भी कि नगरीय निकाय स्वयं भी निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के निपटान का कार्य

कर सकेगा जिसके लिए वह उपभोक्ता शुल्क वसूल सकेगा जो निम्नानुसार होगा.–

क्र.	वाहन का प्रकार	उपभोक्ता शुल्क जो सृजनकर्ता से वसूला जा सकेगा	
		नगर पालिक निगम	नगर पालिका / नगर पंचायत
1	टाटा ऐस या समतुल्य प्रकार	रू. 500.00	रू. 200.00
2	टाटा 407 या समतुल्य प्रकार	रू 600.00	रू. 400.00
3	ट्रेक्टर ट्राली	रू. 750.00	रू. 500.00
4.	ट्रक	रू. 1500.00	रू. 1000.00

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के अवैध डंपिंग की स्थिति में, अर्थात निर्माण स्थल पर की गई ऐसी डंपिंग जिसकी सूचना नगरीय निकाय को नहीं दी गई थी एवं उसको निकाय परिवहन कर निर्धारित स्थल पर पहुंचाता है तो उपरोक्त दर पर बीस प्रतिशत अतिरिक्त उपभोक्ता शुल्क वसूला जावेगा। यदि अपशिष्ट सृजनकर्ता द्वारा स्वयं के वाहन से निर्धारित स्थल पर अपशिष्ट पहुंचाया जाता है तो कोई उपभोक्ता शुल्क नहीं लगेगा।

यदि किसी अपशिष्ट के सृजनकर्ता की पहचान नहीं की जा सकती हो तो ऐसे अपशिष्ट को नियम की स्थिति में जोन आयुक्त / कार्यपालन अभियंता द्वारा तथा अन्य निकायो की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कार्यपालन अभियंता द्वारा लावारिस घोषित किया जावेगा। ऐसी घोषणा के बाद संग्रहण और परिवहन नगरीय निकाय स्वयं के व्यय से करेगी:

परंतु यह भी कि नगरीय निकाय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट डम्प करने का स्थल निर्धारित करेगी और अपशिष्ट सृजनकर्ता द्वारा निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट उठाये जाने हेतु सूचना प्रदान करने टोल–फ्री नंबर सुविधा भी प्रारंभ करेगी।

(3) पालिक अधिकारी द्वारा एक कार्यालयीन आदेश के माध्यम से नियम 5 में उल्लेखित कार्य संपादन का दायित्व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जिम्मेदार शाखा को या अन्य किसी अधिकारी को सौंपा जावेगा, तथा यदि ऐसा आदेश जारी न हुआ हो तो स्थानीय क्षेत्र में पालिक अधिकारी स्वयं निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जवाबदार माना जावेगा।

(4) नियम 7 तथा अनुसूची–1 में भूमि हेतु विनिर्दिष्ट बिन्दुओं के अधीन रहते हुए, परिवहन आदि (लॉजिस्टिक्स) के व्यय को न्यूनतम रखने की दृष्टि से नगरीय निकाय द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु अनेक संग्रहण केन्द्र स्थापित किये जा सकेंगे:

परंतु यह कि यदि उचित भूमि की कमी हो तो नगरीय निकाय निजी निवेशकों जिनके पास उचित भूमि उपलब्ध हो से भूमि का उपयोग अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र के रूप में किये जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित कर सकेगा।

(5) नियम 8(1) के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति संचालनालय नगरीय प्रशासन से जुडे राज्य शहरी विकास अभिकरण को भेजा जावेगा। नियम 8(1) के अनुसार निर्माण एवं विध्वंस के प्रबंधन से संबंधित राज्य भर की जानकारी सूडा द्वारा संधारित की जायेगी।

(6) नियम 9(2) के अंतर्गत निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के भंडारण, प्रसंस्करण और पुर्नचक्रण की सुविधायें स्थापित करने भूमि का आबंटन हेतु 'संबंधित विभाग' निम्नानुसार होगा :–

(क) शहरी क्षेत्र या शहर के समीप स्थित ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय भूमि आबंटन करने, जिला कलेक्टर; तथा

(ख) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योग जो लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हुए हैं, को भूमि उद्योग विभाग द्वारा प्रदान की जावेगी।

(7) नियम 9(4) के अंतर्गत, गुणवत्ता के मापदण्ड को दृष्टि में रखते हुए शासकीय तथा निकाय निधि से किये जाने वाले कार्यो में अपशिष्ट से निर्मित उत्पादों का उपयोग, ऐसे उत्पाद उपलब्ध होने की स्थिति में न्यूनतम निम्नानुसार होंगे :–

(क)	WBM सडक	20%
(ख)	अन्य गैर राजमार्ग सडक	15%
(ग)	राजमार्ग सडक	10%
(घ)	अपशिष्ट से निर्मित निर्माण सामग्री यथा ईंट इत्यादि	10%

(8) नियमों के लागू करने हेतु समय सीमा नियमों में लिये गये अनुसूची–III के अनुसार होगी। यदि वित्त या भूमि की समस्यायें हो तो नियमों को निकाय चरण–बद्ध तरीके से लागू कर सकेगी।

(9) वित्त पोषण

(1) प्रत्येक नगरीय निकाय "C&D Waste Management Account' के नाम से एक पृथक खाता स्थापित करेगा।

(2) ऐसी समस्त राशियां जो नियमों के अंतर्गत या अन्यथा अपशिष्ट सृजनकर्ताओं से प्राप्त हो या अनुदान के रूप में केन्द्रीय या राज्य शासन के प्राप्त हो, वह उपरोक्त खाते में जमा की जायेगी।

(3) निर्माण एवं विध्वंस प्रबंधन से संबंधित किन–किन प्रयोजनों पर उपरोक्त खाते से राशि व्यय की जा सकेगी, इसका निर्धारण नगरीय निकाय द्वारा किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2017

क्रमांक 6981 / 5531 / 2017 / 18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6981 / 5531 / 2017 / 18, दिनांक 13–09–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 13th September 2017

CHHATTISGARH MUNICIPAL (CONSTRUCTION AND DEMOLITION) WASTE MANAGEMENT POLICY, 2017

No. 6981/5531/2017/18. — As required by sub-rule (1) in Rule 9 of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, under the Environment (Protection) Act, 1986

1. **Preamble**

(1) The State of Chhattisgarh is rapidly developing. The urban sector, in terms of geographical extent and population is likewise increasing. A feature of this development is the increase in construction activities. A consequent fall out of this is the ever increasing quantity of construction and demolition waste.

(2) This is a general phenomenon across the country. The Government of India is seized of the matter and has therefore framed the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, under the Environment (Protection) Act, 1986.

(3) The Government of Chhattisgarh accepts the above rules for implementation in the State.

(4) Rule 9(1) of the above rules requires preparation of a policy document with respect to management of construction and demolition waste in the State. The following is in compliance of this requirement.

2. **Short Title, Extent and Commencement**

(1) This policy may be called the Chhattisgarh Municipal (Construction and Demolition) Waste Management Policy, 2017.

(2) It shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

(3) It shall extend to all the urben areas in the State.

3. **Definitions**

(1) In this policy, unless repugnant to the context,—

(a) "Act" refers to the CG Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) and/or the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961)

(b) "Environment Act" refers to the Environment (Protection) Act, 1986 (Central, No.29 of 1986) as amended from time to time.

(c) "Municipal Officer" refers to the Commissioner in the case of Municipal Corporations; and to the Chief Municipal Officer in all other cases.

(d) "Rules" refers to the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, framed under the Environment Act, as amended from time to time.

(2) Words and expressions used here but not defined shall, according to the context, have the same meaning as in the Act, the Environment Act, or the Rules.

4. **Guiding Principles of C&D Waste Management Policy**

(1) The fundamental guiding principle of this policy is that C&D Waste shall be treated as a resource and not a waste. The C&D waste, after due processing, shall be used to reduce, however marginally, dependence on fresh stone aggregate and other building material, thus contributing to environmental conservation.

(2) The three principles of reduce, recycle and reuse as applicable to municipal solid waste shall apply to C&D Waste also. It may not be possible to reduce the generation of C&D waste in all situations, but the other two principles of recycling and reusing the C&D waste shall be followed in an optimum manner.

(3) No part of C&D waste shall be mixed with the municipal solid waste and no part of the C&D waste, either before or after processing, shall be deposited in trenching grounds designed for municipal solid wastes.

(4) It shall be the endeavour of the State to promote C&D waste management activities as a self-financed, bankable, independent economic activity.

(5) Eligible C&D waste processing units will be recognized and registered as small scale industries (SSI) so that they can become eligible for all benefits that are applicable to SSI.

(6) It shall be the endeavour of the State to use C&D waste management activity for promotion of livelihood opportunities in the State, especially for the poor.

(7) The management of C&D waste shall be done in the spirit of PPPP, Public-Private-People Partnership. Private sector will be encouraged to involve itself and invest in the C&D waste management activities.

(8) This policy recognizes that segregation, recycling and reuse of C&D waste involves certain skills in the workers and that such skills need to be cultivated. The possibility of providing necessary skills under the skill-development programs of the Central and/or State Government will be explored and realized in a spirit of convergence of schemes.

(9) The cost of scientific disposal of C&D waste shall be recovered on the principle of 'waste generator to pay'. Such charges shall be based on actual cost and shall not include any royalty or tax or fee of the Government or the Municipality.

(10) The charges for disposal of waste shall be recovered from the generator on the basis of volume, not weight, of the waste generated.

(11) The policy appreciates the fact that C&D waste management, like any other waste management, is everybody's business. It will therefore be the endeavour to achieve synergy amongst various departments like Urban Development, Rural Development, Housing & Environment, Public Works Department, Road Development Corporation etc.

(12) The dumping of C&D waste in public spaces will be an offence punishable under the Act or the Environment Act or the Rules.

(13) Dumping of C&D waste in urban wet-lands, water bodies or in the catchment areas of the water bodies in a manner that interrupts the smooth flow of water to the water bodies will be totally banned and offenders will be prosecuted under the Act and other relevant laws.

5. Legal framework

(1) The basic legal framework for implementation of this policy shall be the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, framed under the Environment Act.

(2) Every urban local body shall be free to frame its own byelaws under the Act for management of construction and demolition waste in the local area :

Provided, however, that such byelaws should be consistent with the provisions contained in the Rules and this Policy.

(3) Every contract in respect of any Building and/or road work in the State will carry the clause that the provisions of Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 should be followed in letter and spirit and the contractor will be liable for any violation.

6. Technical Resource

Technical guidance, whenever required, in the matter of C&D Waste management shall be sought chiefly from the following resources :

- Central Building Research Institute (CBRI), Roorkee
- Central Road Research Institute (CRRI), New Delhi
- National Council for Cement and Building Materials (NCCBM), Ballabhgarh
- Construction Industry Development Council (CIDC), New Delhi
- Indian Institute of Technology; and
- National Institute of Technology, Raipur

7. Nodal Department

(1) Urban Administration and Development Department (UADD) shall be the administrative department for facilitating implementation of the Rules and this policy.

(2) The urban local body concerned shall be responsible for implementation of the Rules and this policy in the local area.

(3) UADD may seek and obtain cooperation of any other department that has a stake in the management of C&D waste in the State.

8. Implementation of the Rules

In response to the points in the Rules, this policy prescribes as follows:

(1) The urban local body (ULB) shall be the "local authority" in terms of Rule 3(1)(g) for the area under its jurisdiction; and "service provider" in terms of Rule 3(1)(i).

(2) The rate under Rule 4(5) shall be fixed by the ULB on estimated cost basis and no profit or royalty shall be included therein:

Provided, however, that if the work of handling and disposal of C&D waste is assigned to a private operator, the charges/reasonable profit of such operator shall be included when computing the costs:

Provided further that if the work has been assigned to the private operator on the basis of an open tender, the accepted bid rate shall be treated as actual cost payable to the bidder, that will have no impact on user charges.

Provided further that ULB may take up the work of handling and disposal of C&D waste for which they will be entitled to collect user charges, on the basis of following vehicle loads

S. No.	Vehicle Type	User fees to be recovered from waste generator	
		Nagar Nigam	Nagar Palika/ Nagar Panchayat
1	Tata Ace or Equivalent type	500/-	200/-
2	Tata 407 or Equivalent type	600/-	400/-
3	Tractor trolley	750/-	500/-
4	Truck load.	1500/-	1000/-

In Case of illegal dumping of C&D waste i.e. dumping of C & D waste at construction site for which information was not provided to ULB, provision for 20 % surcharge be made on above mentioned user fees.

No user charge will be levied on waste generator if C&D waste will be dumped at designated site by waste generator with his own vehicle.

In Case of C&D waste for which waste generator cannot be identified, such C&D waste will be declared as disowned by either zone commissioner / Executive Engineer in corporation towns and Chief Municipal Office or an engineer designated by chief municipal officer in other ULBs. After such declaration collection and Transportation will be done by the ULB at their own cost.

Provided further that ULB shall install a toll free number to receive the information regarding lifting of C &D waste from waste generator & designate the area for dumping of C & D waste.

(3) The Municipal Officer shall, by an office order, assign the work specified in Rule 5 to the section responsible for solid waste management or to any other officer and If no such order is issued, the Municipal Officer will be deemed to be personally responsible for C&D Waste management in the local area in accordance with the Rules.

(4) Subject to stipulations for land contained in Rule 7 and Schedule-1 in the Rules, with a view to keep the cost of logistics low, the ULB may set up multiple centers for collection of the C&D waste :

Provided that if there are constraints of land, the ULB may invite proposals from private investors with suitable land for use as collection centre for C&D waste.

(5) A copy of the Annual Report in terms of Rule 8(1) shall be sent to the SUDA attached to the Directorate of Urban Administration and Development. The SUDA shall maintain the State-wide data under Rule 8(1) relating to C&D waste management.

(6) Under Rule 9(2), the 'concerned department' for allotment of land for setting up of land for storage, processing and recycling facilities for C&D waste shall be as follows:

a. Collector of the district in respect of Government land in (a) the urban area, or (b) a rural area in close proximity to the town; and

b. Industries Department for land to C&D Waste Processing Units registered as SSI.

(7) In terms of Rule 9(4), subject to quality control, the procurement of materials made from C&D waste within the State for all works undertaken with Government funds or municipal funds shall be minimum as follows: subject to availability at facility.

(a)	WBM Roads	20%
(b)	Other non-highway roads	15 %
(c)	Highway roads	10%
(d)	Building products like bricks, pavers etc made from recycled C&D waste	10%

(8) The time frame for implementation of the Rules shall be according to Schedule III in the Rules. If constrained by finance or land constraints, the ULBs may, however, implement the rules in phases.

9. **Funding**

(1) Every ULB shall create a separate account to be called "C&D Waste Management Account".

(2) All amounts received from Waste Generators and others in under the Rules or otherwise as grants from the Central or State Governments shall be credited to this account.

(3) The ULB may determine the purposes related to C&D Waste Management for which the amounts in the above account may be used :

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.